

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 2789 / 12-1 . दिनांक, गोपेश्वर, जनवरी 25 / 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.400 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/१५४/एफ०सी०/१७७९/दिनांक २०.११.२०१९

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय की संदर्भित पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर की पत्र सं० १७८०/१सी(वन) दिनांक २३.११.२०१९ जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है। की प्रति इस कार्यालय की पत्र सं० २२२३/१२-१ दिनांक ०९.१२.२०१९ से प्रेषित की गयी है। जिसकी छाया प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में जनहित को यातायात की सुख सुविधा उपलब्ध कराने एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मोटर मार्ग का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। उक्त मोटर मोटर हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

विशेषवाहक द्वारा

Phone/Fax No. :- 01363-240614

पत्रांक- 1280/ 1 सी0 (वन)
सेवा में,

Email:- eepwdgauchar@rediffmail.com

दिनांक 23 /11/2019

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.400 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/31821/2018)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्रांक संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/154/2018/एफ0सी0/1779 दिनांक 8.11.2019 एवं प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर का ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 20.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज मोटर मार्ग की स्वीकृत जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक सं0 1145/जि0यो0-3/2011-12 दिनांक 06.09.2011 द्वारा 1.00 कि0मी0 हेतु प्राप्त है। ग्राम सेंज " पूर्व में स्थित सोनला-कण्डारा-मैखुरा मोटर मार्ग" से ऊचाई पर स्थित है। वृद्ध एवं बीमार व्यक्तियों को नीचे मोटर मार्ग तक पहुँचन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करने की समस्या के निवारण हेतु यह मोटर मार्ग जिलाधिकारी चमोली द्वारा स्वीकृत किया गया है। तकनीकी दृष्टि से यह संरक्षण उचित होने के कारण न्यूनतम आरक्षित वनभूमि में प्रस्तावित किया गया है। जिस कारण यह संरक्षण मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु उपयुक्त है।

अतः अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्रों की विषय भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये एवं ग्रामीणों की तनत्पन्नों के निराकरण हेतु इस मोटर के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रकरण अपनी संस्तुति सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

पत्रांक-

270/ 1 सी0 (वन)

तददिनांक

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता तृतीय, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वजी. सं. 3221
फाइल सं. 12-1
दिनांक 27/11/19
प्रमाण- वन. स. स. वन प्रभाग

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 2223 / 12-1

दिनांक. गोपेश्वर. 9/12 /2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.400 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/१५४/एफ०सी०/१७७९ दिनांक २०.११.२०१९

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा प्रस्ताव में पायी गयी कमी का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली) ने अपने पत्र सं० १७८०/१सी०(वन) दिनांक २३.११.२०१९(संलग्न) से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसे संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,



(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।